12.3.22

पत्रावली आज स्थाई लोक अदालत में पेश हुई। वादी [illegible] तक पे [illegible]। रिपोर्ट पटवारी [illegible] की रिपोर्ट तथा वादी द्वारा पेश दस्तावेजात, प्रमाणपत्र नगर पालिका [illegible], आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर वाद, वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से, स्वीकार किया जाता है।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज्ञप्ति [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 6/2021

तारीख दायरा 15.01.2021

उनवान

चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण)

श्री सरकार पैरोकार

दिनांक :– 12.03.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद में खाता स0 नई 607 के खसरा न0 1020/5759 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 1553 की 2.00 हैक्टर, खसरा न0 1554 की 3.03 हैक्टर, कुल किता 3 की कुल 5.07 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त कर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रेकार्ड में वादी के पिता स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी का फौती इन्तकाल खुलवाते समय वादी के परिवारजनों द्वारा वादी का नाम चन्द्रप्रकाश अंकित करवा दिया है जो कि वादी का घर का बोलता नाम है, जबकि वादी के विद्यालय रेकार्ड व अन्य सभी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, गैस डायरी और बैंक खाता आदि सभी में चन्द्रशेखर पुत्र लक्ष्मीनारायण नाम अंकित है। वादी द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की नकलें निकलवाकर प्रधानमंत्री योजना के तहत जमीन ऑनलाईन करवाने के लिए ई–मित्र पर गया तो वादी के नाम में भिन्नता होने से उक्त योजना में वादी की आराजी ऑनलाईन नहीं हुई। इसी प्रकार बैंक आदि ने भी वादी को उसके हिस्से की आराजी पर किसान केडिट कार्ड आदि जारी नहीं किये तथा वादी को अपने घर के नाम व रेकार्ड के नाम में भिन्नता होने से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है।

वादी द्वारा अपने नाम में भिन्नता होने के कारण नाम शुद्वि करवाने के लिए पटवारी हलका महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने वादी का नाम दुरस्त करने में अपनी असमर्थता जाहिर की तथा माननीय न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही नाम में दुरस्ती करने की कहने पर माननीय न्यायालय में उक्त वाद वास्ते नाम शुद्वि घोषणा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होने से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में एवं विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे कि –

माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद में खाता स0 नई 607 के खसरा न0 1020/5759 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 1553 की 2.00 हैक्टर, खसरा न0 1554 की 3.03 हैक्टर, कुल किता 3 की कुल 5.07 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी के घर के बोलते नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण को शुद्ध कर चन्द्रशेखर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाये जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में [illegible] प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से [illegible] रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में वाद पत्र में अंकित तथ्यों का [illegible]र्थन किया है व वादीगण की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा जवाब प्रतिवादी, वादी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड आदि से यह जाहिर होता है कि वादी ने उसके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद में खाता स0 नई 607 के खसरा न0 1020/5759 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 1553 की 2.00 हैक्टर, खसरा न0 1554 की 3.03 हैक्टर, कुल किता 3 की कुल 5.07 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी के घर के बोलते नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण को शुद्ध कर चन्द्रशेखर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण दर्ज किया जावे। उक्त घोषण के अनुक्रम में इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दारमद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)